:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :–मणीलाल तीरगर
मूकदमा नम्बर 172/18 राजस्व वाद

1. सलीम पिता अब्दुल रहीम घाची उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. दाउद पिता अब्दुल रहीम घाची हाल निवास 10, मीरसाब नगर सैयदवाडी वटवा अहमदाबाद गुजरात
2. अयुब पिता अब्दुल रहीम घाची
3. इकबाल पिता अब्दुल रहीम घाची
4. कयूम पिता अब्दुल रहीम घाची
5. राब बाई बेवा अब्दूल रहीम घाची उम्र वयस्क निवासीयान सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
6. पुंजालाल पिता भीखा कलाल जाति घाची उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
7. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी**

:: निर्णय :: दिनांक 10/07/2019

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं सहखातेदार दर्ज करने अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि:– वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 स्व. अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद घाची की सन्ताने है।प्रतिवादी सख्या 5 वादी की मॉ है जिनका पेढीनामा निम्नानुसार हैः–

अब्दुल रहीम

दाउद, इकबाल, अयुब कयूम सलीम राबीया बेन

कि स्व. अब्दुल रहीम की पॉच सन्ताने दादउ, इकबाल, अयूब, कयूम सलीम है तथा राब बाई, अब्दुल रहीम की पत्नी है। इस प्रकार स्व. अब्दूल रहीम की कुल छः विधिक वारीसान है कि मोजा सीमलवाडा के जमाबन्दी सवंत् 2071–2074 के खाता सख्या 357 के खसरा सख्या 1309 का रकबा 1.08 बीघा अर्थात एक बीघा आठ बीसवा भूमि में वादी के पिता स्व. अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है किन्तु वादी के पिता स्व. अब्दुल रहीम पिता मोहम्मद घाची की मृत्यु होने पर इनके बाद इन्द्राज किए गए नाम में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 3 एवं 4 का नाम दर्ज रिकार्ड करना रह गया है इस प्रकार राजस्व कर्मीयो द्वारा बडी भूल की गई है ऐसे में उक्त आराजी के 1/2 हिस्से में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज दाउद, अयुब, पिता अब्दुल रहीम राब बाई बेवा अब्दूल रहीम ही.ब.के साथ वादी सलीम को सहखातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वादी को

Scanned by CamScanner

अपूरणीय क्षती होगी। कि वादग्रस्त आराजी वादी या उसके पिता द्वारा कभी भी प्रतिवादीगण अकेले को नहीं दी गई इसमें सभी का हक हिस्सा है तथा मौके पर काबीज है कि वादी राजस्व कर्मीयों की भूल से बाधीत नहीं है प्रतिवादी सख्या 6 एवं 7 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है इनसे कोई विशेष अनुतोष नहीं चाहा गया है प्रतिवादी पुजालाल के 1/2 हिस्से से वादी का कोई लेना देना नहीं है वाद कारण दिनांक 14/12/2018 को वादी द्वारा जमाबन्दी निकलवाने तथा प्रतिवादीगण को कहने तथा उनका नाम दर्ज करवाने की बात करने पर आपसी सहमति नहीं बनने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है। तथा निरन्तर उत्पन्न हो रहा है कि वादग्रस्त आराजी गॉव सीमलवाडा की होने से एवं घोषणा का होने से वाद श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है कि वाद घोषणा का होने से अवधि में है कि वाद के साथ ड्युप्लिकेट वादपत्र व वादी के शपथपत्र प्रस्तुत है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि मोजा सीमलवाडा के जमाबन्दी के खाता सख्या 357 के खसरा सख्या 1309 का रकबा 1.08 बीघा अर्थात एक बीघा आठ बीसवा भूमि में दाउद, अयुब पिता अब्दुल रहीम, राब बाई बेवा अब्दुल रहीम घाची ही.ब. हिस्से में वादी सलीम को सहखातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को बेदखल नहीं करे, उसके कब्जे, आधीपत्य काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, कि अन्य न्यायोचित अनुतोष जो धारा 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत हो प्रदान किया जावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं आया, ऐसे में प्रतिवादीगण के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने वाद के समर्थन में अपना शपथपत्र पी डब्लू 1 पेश किया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तोर पर गॉव सीमलवाडा की जमाबन्दी खाता सख्या 357 जो प्रर्दश पी 1, अब्दुल रहिम पिता मोहम्मद घाची की मृत्यु उपरान्त खोला गया नामान्तरण प्रदर्श पी 2, एवं ग्राम पंचायत कें ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच द्वारा प्रमाणित पारिवारिक सजरा/पेढीनाम प्रदर्श पी 3 है। बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, वादी अपना वाद साबीत करने में सफल रहा, ऐसे में गॉव सीमलवाडा के जमाबन्दी खाता सख्या 357 के खसरा सख्या 1309 का रकबा 1.08 बीघा में दर्ज दाउद, आयुब पिता अब्दुल रहीम, राब बाई बेवा अब्दुल रहीम हि.ब. के साथ वादी सलीम पिता अब्दुल रहीम घाची को खातेदार दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है अर्थात उक्त आराजी सख्या 1309 का रकबा 1.08 बीघा में दाउद, आयुब, सलीम पिता अब्दुल रहीम, राब बाई बेवा अब्दुल रहीम हि.ब.दर्ज हो, शेष बदस्तुर रहे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे आधिपत्य में किसी प्रकार से कोई व्यवधान पैदा नहीं करे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

मणीलाल तीरगर
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
10.7.2019

आज दिनांक 10/07/2019. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

मणीलाल तीरगर
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
10.7.2019

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री मणीलाल तीरगर
श्री सलीम **बनाम** श्री दाउद आदि
दावाः— अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज.टी.एक्ट।
प्रकरण सख्याः— 172/18

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उप. और प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आज दिनांक 10/07/2019 को पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि गॉव सीमलवाडा के जमाबन्दी खाता सख्या 357 के खसरा सख्या 1309 का रकबा 1.08 बीघा में वादी सलीम पिता अब्दुल रहीम घाची को प्रतिवादी दाउद, अयुब, पिता अब्दुल रहीम, राब बाई बेवा अब्दुल रहीम घाची ही.ब. के साथा सहखातेदार दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है अर्थात दाउद, अयुब, सलीम पिता अब्दुल रहीम, राब बाई बेवा अब्दुल रहीम ही.ब. दर्ज हो, शेष बदस्तुर रहे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे आधिपत्य में किसी प्रकार से कोई व्यवधान पैदा नहीं करे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

यह आज दिनाक 10/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मणीलाल तीरगर
10.7.2019
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

मणीलाल तीरगर
10.7.2019
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned by CamScanner